# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–2698/2016**

सलीम खान —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, जयपुर रेंज, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, सीकर, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

**आदेश की दिनांक** : 09.07.2024

**उपस्थित –**

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

**समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से इस अपील में यह तथ्य अंकित किये गये है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कॉस्टेबल के पद पर पुलिस विभाग में दिनांक 13.12.1989 को हुई थी। अपीलार्थी की पदोन्नति हैड कॉस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध हुई थी। इस प्रकार अपीलार्थी की दिनांक 01.04.2009 से हैड कॉस्टेबल के पद पर नियुक्ति मानी जानी चाहिए थी। फलस्वरूप हैड कॉस्टेबल के पद पर अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2009 से की जानी चाहिए। अपीलार्थी ने आगे यह तथ्य अंकित किये है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कॉस्टेबल के पद से सहायक निरीक्षक के पद पर योग्यात्मक परीक्षा आयोजित की जा रही है। परन्तु अपीलार्थी को उक्त परीक्षा में अनुभव के अभाव में पात्र नहीं होना माना जा रहा है और अपीलार्थी को परीक्षा में बैठने के अनुमति नहीं दी गयी। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु आयोजित होने वाली योग्यात्मक परीक्षा में शामिल किया जाए एवं यदि अपीलार्थी वर्ष 2016–17 की योग्यात्मक परीक्षा में सहायक उप निरीक्षक पद के लिये चयन योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।
2. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस अपील में पूर्व में इस अधिकरण ने अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 08.11.2016 पारित किया था, जिसमें यह आदेश दिया गया कि वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कॉस्टेबल के पद से सहायक उप

निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये आयोजित होने वाली पदोन्नति परीक्षा में इस अपील के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन अपीलार्थी को बैठने की अनुमति प्रदान करें एवं अपीलार्थी का परीक्षा परिणाम अधिकरण के आगामी आदेश तक शीलबन्द लिफाफे में रखा जाए।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस अपील में प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि वर्तमान में सभी परीक्षाएं अधिकरण के आगामी आदेश तक रोक दी गयी है। यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी नियमानुसार परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं था। अपीलार्थी कानिस्टेबल पद पर दिनांक 13.12.1989 को नियुक्त हुआ है। इस जिले की वर्ष 2009–10 की कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल पद की पदोन्नति योग्यात्मक परीक्षा में चयन नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण राजस्थान, जयपुर में दायर अपील सं० 1839/2010 में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2011 की अनुपालना में श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर के आदेश कमाक 4089 दिनांक 17.08.2011 के द्वारा कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2009–10 में सम्मिलित श्री सलीम खांन कानि/490 के लिखित, आउटडोर, रिकार्ड तथा साक्षात्कार के अंकों की पुनः गणना करने हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27 (3)(ए) एवं 2(ए) के प्रावधानानुसार चयन बोर्ड का गठन किया गया। दिनांक 24.08.2011 को गठित बोर्ड द्वारा श्री सलीम खांन कानि/490 के लिखित, आउटडोर, रिकार्ड तथा साक्षात्कार के अंकों की पुनः गणना करने पर उक्त कानिस्टेबल सफल होने पर जिला सीकर की वर्ष 2009–10 की चयन सूची के कम सं० 8 पर अंकित श्री महेश कुमार कानि/375 के निचे एवं श्री रामकिशोर कानि/459 के उपर अंकित किया जाकर हैड कानिस्टेबल पद की पी०सी०सी० हेतु चयन सूची पर लिया गया । अपीलार्थी द्वारा कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल पद की पी०सी०सी० बैच सं0 88/11 दिनांक 26.12.2011 से 22.02.2012 तक पी०टी०एस० किशनगढ में भाग लिया। श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर के पत्रांक 975 दिनांक 09.02.2012 एवं कमाण्डेन्ट पी०टी०एस० किशनगढ के आदेश कमाक 1808–27 दिनांक 16.03.2012 के द्वारा पी०सी०सी० में उत्तीर्ण घोषित किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश कमाक 1755–60 दिनांक 28.03.2012 द्वारा हैड कानिस्टेबल पद पर पदोन्नति प्रदान की जाकर बैल्ट न0 678 आवंटित किये गये। अपीलार्थी का हैड कानिस्टेबल के पद पर वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध चयन किया गया है। लेकिन उक्त अपीलार्थी द्वारा कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल पद की पी०सी०सी० बैच सं0 88/11 दिनांक 26.12.2011 से

22.02.2012 तक पी०टी०एस० किशनगढ में भाग लिया। श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर के पत्रांक 975 दिनांक 09.02.2012 एवं कमाण्डेन्ट पी०टी०एस० किशनगढ के आदेश क्रमाक 1808–27 दिनांक 16.03.2012 के द्वारा पी०सी०सी० में उत्तीर्ण घोषित किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश कमाक 1755–60 दिनांक 28.03.2012 द्वारा हैड कानिस्टेबल पद पर पदोन्नति प्रदान की जाकर बैल्ट न0 678 आवंटित किये गये। अपीलार्थी द्वारा कानिस्टेबल से हैड कानिस्टेबल पद की पी०सी०सी० सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने की तिथि से 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं की है। इस बाबत इस कार्यालय के कमाक 51 दिनांक 06.01.2017 के द्वारा मार्गदर्शन चाहने हेतु पत्र जारी किया गया है जो अपेक्षित है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया ।

5. उल्लेखनीय है कि समान मामलों में इस अधिकरण द्वारा अपील संख्या 366/2017 सुवालाल चौधरी बनाम पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य एवं 101 अन्य अपीलों में समान आदेश दिनांक 07.02.2019 को पारित किया गया था, जिसमें निम्न प्रकार से निर्णय पारित किया गया :–

> ''6. सुनवाई की गत तिथि को जब हमने उक्त अपीलों पर अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता व विद्वान् अति. राजकीय अधिवक्ता से बहस सुनी तब दोराने बहस यह बताया गया कि अपीलार्थीगण को सहायक उप निरीक्षक की पदोन्नति पात्रता परीक्षा में अधिकरण के आदेश से सम्मिलित कर लिया गया है और बाद में प्रत्यर्थी विभाग के महानिदेशक द्वारा दिनांक 05.04.2017 को पत्र संख्या 1360 जारी किया गया. जिसमें यह अंकित किया गया है कि वर्ष 2016–17 हेतु मुख्य आरक्षी से सहायक उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद की योग्यात्मक परीक्षा में अनुभव की गणना के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या–309/1998 श्री गोकुल सिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं रिट याचिका संख्या 16083/2015 देवेन्द्र प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय के अनुसार अनुभव एवं पात्रता की गणना रिक्तियों के वर्ष की प्रथम अप्रेल से किये जाने के सम्बन्ध मे निर्देश प्रदान किये गये हैं और राज्य सरकार ने उक्त निर्णयों के विरूद्ध कोई अपील नहीं किये जाने का निर्णय ले लिया है और उक्त निर्णयों की पालना की जा चुकी है। इसलिए आगामी योग्यात्मक परीक्षा में कार्मिकों की योग्यता/पात्रता/अनुभव की गणना रिक्ति वर्ष की प्रथम अप्रैल से की जावे। उक्त पत्र संख्या 1360 दिनांक 05.03.2017 (05.04.2017) को विद्धान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के साथ इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर अपीले निष्फल हो जाने से फैसल शुमार किये जाने पर बल दिया, जबकि अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी कि जब अपीलार्थीगण को इस अधिकरण के आदेश से परीक्षा में प्रोविजनली बिठाया

गया और उनका परिणाम सील बन्द है तो फिर अपीलों को निष्फल नहीं किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग के उक्त पत्र व उक्त निर्णयजन्य विधियों के पारेप्रेक्ष्य में यह आदेश पारित किया जावे कि विभाग अपीलार्थीगण के अनुभव को उनकी पत्रोन्नति जिस वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध हुई है उस वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारी से गणना करके उनकी पात्रता पर विचार करे और उनका परिणाम जो शील बन्द है उसको यदि अब तक जिन अपीलार्थियों के सम्बन्ध में नहीं खोला गया है तो खोला जाये और यदि वे पतोन्नति के लिये अन्यथा पात्र होना माने जाए तो उनको उक्त अनुभव के आधार पर दर–गुजर नहीं करे व उनकी नियमानुसार पदोन्नति करे।

7. हमने इस बहस पर चिन्तन मनन किया। उक्त निर्णयजन्य विधियों से व प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या 1360 दिनांक 05.03.2017 (05.04.2017) से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अनुभव की गणना रिक्तियों के वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख से गिनने बाबत सहमति व्यक्त कर दी है तो फिर अपीलार्थीगण जो कि अधिकरण के आदेश से वर्ष 2016–17 की सहायक उप निरीक्षक की रिक्तियों हेतु पदोन्नति पात्रता परीक्षा में प्रोविजनली सम्मिलित किये गये हैं और जिनके परिणाम को अधिकरण ने सील बन्द रखे जाने का आदेश दिया है, उस बाबत हम अपीलार्थीगण की उक्तांकित सभी अपीलों को आंशिक रूप से मंजूर की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देते हैं कि वे अपीलार्थीगण को उनकी मुख्य आरक्षी के पद पर जिस वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति की गयी हैं, उस वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख से उनके मुख्य आरक्षी के पद पर अनुभव की गणना करे तथा लिखित परीक्षा में यदि वे अन्यथा सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होना पाये जावे तो उनके सील बन्द लिफाफों को खोलकर विधि–अनुसार उनकी पदोन्नति पर यथाशीघ्र कार्यवाही करे। प्रत्यर्थीगण को आदेश की पालना के लिये तीन माह का समय प्रदान किया जाता है।

8. मूल आदेश अपील संख्या 366/2017 सुवालाल चौधरी में संलग्न किया जा और आदेश की सत्य फोटो प्रतियां उक्त सूची में वर्णित शेष समस्त अपीलों में संलग्न की जावे।

9. आदेश आज दिनांक 07.02.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एव हस्ताक्षरित कर उद्द्घोषित किया गया।''

6. अतः इस अधिकरण द्वारा पूर्व में निर्णित मामले में यह निर्णय पारित किया गया है कि जिस वर्ष की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति दी गयी है, उस वर्ष की अप्रैल की पहली तारीख से अनुभव की गणना की जाए। ऐसे में हम पाते है कि अपीलार्थी की निर्धारित योग्यता की गणना पदोन्नति के रिक्ति वर्ष की एक अप्रैल से किये जाने पर आगामी पदोन्नति के लिये वांछित अनुभव रखने की योग्यता पूरी करता है। ऐसे में अपीलार्थी आगामी योग्यात्मक परीक्षा में शामिल होने का अधिकार रखता है।

7. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी की आगामी पदोन्नति हेतु उसके अनुभव की गणना पूर्व की पदोन्नति के रिक्ति वर्ष की एक अप्रैल से करें और यह भी आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी को इस अधिकरण के अन्तरिम आदेश से योग्यात्मक परीक्षा में शामिल किया गया है तो अपीलार्थी के सम्बन्ध में शीलबन्द लिफाफे को खोल कर विधि अनुसार पदोन्नति का पात्र पाये जाने पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**